SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from National Highway Authority of India for diversion (under FCA-1980) of total of 97.896 ha. Mainpuri Social Forest Division of protected forest land for non-forestry purpose and permission of felling of 11377 trees. The Project envisage the use of forest land for rehabilitation and upgradation to 4 lane with paved shoulders configuration from Kalyanpur to Naviganj Section km 229.00 to km 289.00 in Mainpuri Division of National Highway-91.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **18-01-2018**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected Forest measuring 97.896 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. - **Nil**.

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **Nil**

a. The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. (**TRUE**)

b. It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) act, 1980 provisions. a detail report as per para 1.9 of chapter-1; para C of handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached (**Not applicable**)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.- **RECOMMENDED for approval.**

Encloser – The Brief note of Site Inspection Report with this prescribed Site Inspection Report.

Place- Agra
Dated- 25-03-2018

(Signature)

(Ramesh Kumar Pandey)
Conservator Of Forests,
Agra Circle, Agra

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number- 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.

श्री रमेश कुमार पाण्डेय, वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा दिनॉक 18–01–2018 को जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के फोरलेन चौड़ीकरण हेतु एन0एच0ए0आई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सं0–24596/2017 पर निरीक्षण नोट :–

प्रभागीय निदेशक एंव उप प्रभागीय वनाधिकारी, मैनपुरी एवं सम्वन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी , स्थानीय स्टाफ व एन0एच0ए0आई0 के परियोजना निदेशक के साथ किमी0 229 से 289 तक 60 किमी0 फोरलेन चौड़ीकरण प्रस्ताव के सम्वन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया । उक्त मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक आ रहे वृक्षों के प्रगणना रिपोर्ट में दर्ज किमी0 230 में वृक्षों की नम्वरिंग, प्रजाति एवं गोलाई का सत्यापन किया गया । उक्त मार्ग के कुरावली बाईपास के जंक्शन पोइन्ट पर रूक कर एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियो से जानकारी ली एवं विचार विमर्श किया । तदोपरान्त उक्त मार्ग का किमी0 289 तक जगह जगह रूक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न तथ्य स्पष्ट हुये :–

1– निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त मार्ग पर अत्यधिक यातायात का दवाव है इसलिए जनहित में उक्त मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण किया जाने का प्रस्ताव आवश्यक है । उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण में 11377 वृक्ष बाधक पाये गये जो कि मैनपुरी एवं भोगॉव रेंज के अन्तर्गत आते है । जिसके अन्तर्गत एन0एच0ए0आई0 की गणना शीट के अनुसार 97.896 हे0 संरक्षित वन भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जिसके बदले में दुगने क्षेत्रफल 195.792 हे0 अवनत लैण्ड बैक वनभूमि फिरोजाबाद प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 73646133.00 एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 61282896.00 की धनराशि प्रस्तावित की गई है ।

2– उक्त मार्ग पर पूर्व में सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पत्र सं0 1429/14–2–2013 दि0 16–08–213 द्वारा स्वीकृत हुआ था, जिसमें 24.27 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हुई थी । जिसके बदले में दुगने अवनत वनभूमि पर मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न वन व्लाकों में 48.54 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण कार्य प्रस्तावित किया गया था। 48.54 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण कार्य पर व्यय हेतु धनराशि रू0 10140620.00 व एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 19488810.00 , एक लाख पौध नर्सरी स्थापित करने हेतु 5354000.00 एव उक्त मार्ग के किनारे अवशेष भूमि पर 85.62 हे0 में स्ट्रिप प्लानटेशन एवं 5 वर्ष के रखरखाव हेतु रू0 8650000.00 प्रस्तावक विभाग द्वारा कैम्पा निधि में जमा कर दी गई थी ।

3– उपरोक्त विधिवत स्वीकृति की शर्तो के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर उपरोक्त मार्ग के चौडीकरण के उपरान्त 85.62 हे0 में स्ट्रिप प्लानटेशन एवं 5 वर्ष के रखरखाव सहित किया जाना था । उपरोक्त स्थल के चौड़ीकरण कार्य हेतु 11088 वृक्षों का पातन किया जा चुका है लेकिन चौड़ीकरण कार्य नहीं किया गया है । जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति की शर्त के अनुसार चौड़ीकरण के बाद सड़क के दोनो तरफ 85.62 हे0 का स्ट्रिप प्लानटेशन कार्य नहीं किया जा सका। जिसके कारण पूर्व में निर्गत स्वीकृति की शर्तो का पालन नहीं किया गया है ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार सड़क के दोनो तरफ स्ट्रिप प्लानटेशन हेतु कोई संरक्षित वनभूमि अवशेष नहीं रहेगी। जिसके कारण **भविष्य में 85.62 हे0 का वृक्षारोपण किये जाने की सम्भावना पूर्णतः समाप्त हो गई है।** उपरोक्त शर्त के पालन हेतु एवं पातन किये गये 11088 की भरपायी हेतु आवश्यक हो गया है कि इस मार्ग के दोनो किनारो पर हरित पटटीका विकसित करने के लिए 10–10 मीटर चौड़ी भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अधिग्रहित कर वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि सड़क के किनारे अधिग्रहण करने में व्यवहारिक कठिनाई आ रही हो तो मैनपुरी जनपद के अन्तर्गत सौनासी ग्राम समाज में उपलब्ध 85.62 हे0 भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही कराये ताकि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई विधिवत स्वीकृति दिनॉक 16–08–2013 के शर्तो का अनुपालन किया जा सकें ।

4– उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण में 11377 वृक्ष बाधक है । जिसके पातन की भरपाई करने हेतु दुगने वृक्ष लगाना प्रस्तावित किया जाता है । जिनमें से शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुरावली , भोगॉव एवं बेबर टाउन एरिया क्षेत्र में सड़क किनारे सीमित क्षेत्र होने के कारण 11377 आयरन ट्रीगार्ड से वृक्षारोपण कराया जाना उचित रहेगा । साथ ही उक्त मार्ग से जुड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के किनारे पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होने पर 11377 पौधें ब्रिकगार्ड द्वारा रोपित करना उचित होगा। जिसके कारण चौड़ीकरण में बाधक आ रहे वृक्षों के कटान से हुई पर्यावरणीय क्षति की भरपाई की जा सके। निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक ने बताया कि कुरावली, भोगॉव व बेबर पर 15. 50 किमी0 का बाईपास निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण उपरान्त अवशेष भूमि पर पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षारोपण किया जाना उचित होगा ।

5– उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण के पश्चात निर्मित होने वाली सेन्ट्रलवर्ज पर शोभाकार प्रजातियों के रोपण हेतु नीचे की पक्की सड़क को तोड़कर ही सेन्ट्रलवर्ज का निर्माण करना आवश्यक है। उक्त मार्ग के सेन्ट्रलवर्ज पर 60 किमी0 में 2–2 मीटर की दूरी पर लगभग 30000 शोभाकार पौधों के रोपण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि प्राप्त करना उचित रहेगा । ताकि उक्त फोरलेन मार्ग पर गुजरने वाले वाहनो से उत्पन्न वायु प्रदूषण को सड़क मार्ग पर ही शोभाकार वनस्पति द्वारा अवशोषित किया जा सकें।

अतः उपरोक्त बिन्दु सं0–3, 4 एवं 5 की शर्त के साथ जनहित में प्रस्ताव पर सहमति दी जा सकती है।

23.1.18

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा